

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक - 8/ज०स० (नि०) ग्रा०-08-17/15

राँची, दिनांक-

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अख्तर अली (ID-3956) ने जब वे सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल चतरा पद पर पदस्थपित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री अख्तर अली, सहायक अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम- 16 एवं 17 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री अख्तर अली से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री ददन चौबे, (सेवानिवृत्त, झा०प्र०से०) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए निदेशक, डी०आर०डी०ए० चतरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ श्री ददन चौबे, (सेवानिवृत्त, झा०प्र०से०) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची/निदेशक, डी०आर०डी०ए० चतरा/श्री अख्तर अली सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- अनुबंध की प्रति के साथ श्री ददन चौबे, (सेवानिवृत्त, झा०प्र०से०) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची/निदेशक, डी०आर०डी०ए० चतरा/श्री अख्तर अली सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०—यथोक्त।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक —

राँची, दिनांक —

प्रतिलिपि — सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 3882 दिनांक 28.07.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक —

5437

राँची, दिनांक —

20-12-17

प्रतिलिपि — उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.11.17

सरकार के संयुक्त सचिव